इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 387] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 25 जुलाई 2017—श्रावण 3, शक 1939

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल दिनांक 25 जुलाई, 2017

क्रमांक एफ 16–7–2017–बाईस–पं.–2–मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 01 सन् 1994) की धारा 43 के साथ पठित धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारुप पर विचार किया जाएगा।

किसी भी आपत्ति या सुझाव पर जो उक्त प्रारुप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

संशोधन प्रारुप

उक्त नियमों में, नियम 31–क में, –

1. विद्यमान शीर्षक "आपराधिक अभिलेख सम्पतियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हताओं आदि की जानकारी" के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक, स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

   "अभ्यर्थी की व्यक्तिगत जानकारी"–

2. उप नियम (1) एवं (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किए जाए ; अर्थात–

"(1) पंच के पद के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी नामनिर्देशन–पत्र के साथ राज्य निर्वाचन आयोग व्दारा विहित किए गए प्रारूप में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा, जिसमें उसकी शैक्षणिक अर्हताओं, लंबित/विनिश्चित आपराधिक मामलो, स्वंय की तथा उसके/उसकी पति या पत्नि और आश्रितों की आस्तियों तथा दायित्वों क्या वह सरकारी भूमि पर अधिक्रमणकर्ता है, मध्यप्रदेश राज्य विद्युतमण्डल या उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों की शोध्य राशि, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के कालातीत ऋण तथा उसके आवासीय परिसर में फ्लश शौचालय/जलवाहित शौचालय होने के बारे में जानकारी सम्मिलित होगी"।

(2) जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के सदस्य के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी नामनिर्देशन–पत्र के साथ राज्य निर्वाचन आयोग व्दारा विहित किए गए प्रारूप में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें उसकी शैक्षणिक अर्हताओं, लंबित/विनिश्चित आपराधिक मामलो, स्वंय की तथा उसके पति या पत्नि और आश्रितों की आस्तियों तथा दायित्वों के क्या वह सरकारी भूमि पर अधिक्रमणकर्ता है मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल या उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों की शोध्य राशि, प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था के कालातीत ऋण तथा उसके आवासीय परिसर में फ्लश शौचालय/जलवाहित शौचालय होने के बारे में जानकारी सम्मिलित होगी। शपथ–पत्र पर, नोटरी, सक्षम मजिस्ट्रेट या शपथ आयुक्त के समक्ष शपथ ग्रहण की जाएगी।"

Bhopal Dated 25 July, 2017

NOTICE

No.F.16-7-2017-22-P-2.-The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Panchayat Nirvachan Niyam, 1995. Which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with Section 43 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam 1993 (No. 1 of 1994) is hereby published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of its publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period specified above will be considered by the State Government

DRAFT OF AMENDMENT

In the Said Rules,-

1. for the existing heading "information of criminal record, properties, libilities and educational qualification", the following heading shall be substituted namely:-

   " Personal information of the candidate."

2. for sub-rule (1) and (2), the following sub-rule shall be substituted namely :-

"(1) Every candidate for the post of Panch shall submit a declaration in a form as prescribed by the State Election Commission along with nomination paper which shall include information about his educational qualification, criminal cases pending/decided,his/her assets and liabilities and that of his/her spouse and dependents, information about whether he/she is an encroacher on Government Land, any dues payable to the Madhya Pradesh State Electricity Board or its successor companies any dues of time barred loan to any primary agriculture credit cooperative Society and about existence of flush latrine in his/her residential premises.

"(2) Every candidate for the post of member of Janpad Panchayat and Zila Panchayat shall submit an affidavit, in a form as prescribed by the State Election Commission along with nomination paper which shall include information about educational qualifications, criminal cases pending/decided, his assets and liabilities and that of his spouse and dependents, whether he is an encroacher on Government Land, any dues payable to the Madhya Pradesh State Electricity Board or its successor companies, any dues of time barred loan to any primary agriculture credit cooperative Society and about existence of flush latrine in his/her residential premises. The affidavit shall be sworn before Notary, competent Magistrate or Oath Commissioner."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. चौधरी, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.